संचिका संख्या–15/औ०–02–17/2014–....................../स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना – 04 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पूर्वी चम्पारण–01 को विभागीय पत्रांक–1795, दिनांक – 02.09.2009 द्वारा अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में दवा, रसायन, रिएजेन्ट, उपकरण एवं मशीन क्रय संबंधी निविदा में तकनीकी सहयोग हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष–2008–09 एवं 2009–10 में दवा, रसायन, रिएजेन्ट, उपकरण एवं मशीन आदि के क्रय में बरती गयी अनियमितता की जॉच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया, जिसमें निगरानी थाना काण्ड संख्या–061/2013 दिनांक–25.09.2013 द्वारा धारा–406/409/420/120 (बी) भा० द० वि० एवं 13(2) सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र०नि०अधि० 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–04 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पूर्वी चम्पारण–01 के विरूद्ध धारा–19 भ्र०नि०अधि० 1988 एवं धारा–197 द०प्र०स० के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन चलाने हेतु निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो०), बिहार, पटना के पत्रांक – 3458 दिनांक – 18.12.2013 द्वारा स्वीकृति देने हेतु आग्रह किया गया। विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक – 120/जे० दिनांक–22.05.2014 द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जाँच में पाया गया कि पी०एम०सी०एच०, पटना के तत्कालीन अधीक्षक, संबंधित उपाधीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लेखापाल, संबंधित क्रय लिपिक के द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं के मेल में आकर एम०आर०पी० से अधिक मूल्य पर क्रय करने, मशीन/उपकरण को निर्माता कंपनी के दर से काफी अधिक दर पर क्रय करने एवं बिना आकलन किये जान–बूझकर खपत से कई गुणा अधिक मात्रा में सामग्री दवा आदि क्रय करने की कार्रवाई की गयी, जिसके कारण सरकारी राशि 12,63,62,970/– रुपये का दुर्विनियोग प्रकाश में आया, जिसके क्रम में तत्कालीन औषधि निरीक्षक श्री विकास शिरोमणि एवं श्री अशोक कुमार यादव के विरूद्ध निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उक्त आरोपों के आलोक में श्री शिरोमणि के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभाग को समर्पित अधिगम में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त की गयी। आयोग से प्राप्त परामर्श के पश्चात् मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते

हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(ix) के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक–515(15), दिनांक–26.03.2021 द्वारा श्री शिरोमणि को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित/अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री शिरोमणि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–1144/2021 एवं 9379/2021 दायर किया गया। समादेश याचिका संख्या– 9379/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक – 02.11.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"Considering the above, the impugned order of dismissal dated 26.03.2021, is set aside. The petitioner is directed to be reinstated in service forthwith. The disciplinary authority shall be at liberty to supply to the petitioner complete copy of the enquiry report whereafter the respondents shall proceed, in accordance with law, for conclusion of the disciplinary proceeding, from the stage of supply of enquiry report.

It will be open for the disciplinary authority to ensure reconstruction of the enquiry report, If required after consulting the Inquiring authority for supply of the inquiry report to the petitioner.

The petitioner's claim for back-wages will depend on the outcome of the disciplinary proceeding."

उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक – 24.06.2022 को आहूत बैठक में निम्नरूपेण निर्णय लिया गया –

" सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) की पूर्ण प्रति आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराये बिना बर्खास्तगी का निर्णय वैधानिक/तकनीकी रूप से उचित नहीं था। उक्त के आलोक में श्री विकास शिरोमणि के मामले में CWJC No.-1144/2021 (श्री विकास शिरोमणि बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक – 19.03.2021 को पारित न्यायादेश एवं CWJC No.-9379/2021 (श्री विकास शिरोमणि बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक – 02.11.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री शिरोमणि के बर्खास्तगी दण्डादेश संकल्प संख्या – 515(15), दिनांक – 26.03.2021 को निरस्त करते हुए बर्खास्तगी के तिथि से ही सेवा में पुर्नस्थापित करते हुए श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन संचालन पदाधिकारी –सह– प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना सम्प्रति जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय द्वारा आरोपी पदाधिकारी को एक अवसर प्रदान करते हुए उक्त मामले की पुनः सुनवाई कर, जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) की पूर्ण प्रति पत्र प्राप्ति के 30(तीस) दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने संबंधी निदेश देने की अनुंशसा की गयी है, जिसके आधार पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री शिरोमणि के बर्खास्तगी दण्डादेश संकल्प संख्या – 515 (15), दिनांक–26.03.2021 को विभागीय संकल्प ज्ञापांक – 677(15), दिनांक – 21.07.2022 द्वारा निरस्त करते हुए श्री शिरोमणि को बर्खास्तगी की तिथि से पुनः सेवा में बहाल किया गया एवं द्वितीय कारण पृच्छा के स्तर से पुनः विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) की पूर्ण प्रति श्री शिरोमणि को उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं बचाव ब्यान की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में आरोप संख्या – 02, 03 एवं 05 को प्रमाणित, आरोप संख्या – 01 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या – 04 को अप्रमाणित पाया गया।

उल्लेखनीय है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड सं0–061/2013 दर्ज की गयी थी एवं प्राथमिकी में डॉ0 ओम प्रकाश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना, डॉ0 विनोद कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग, पी0एम0सी0एच0 पटना, श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–04 (प्रतिनियुक्त पी0एम0सी0एच0, पटना) तथा श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–05 (प्रतिनियुक्त पी0एम0सी0एच0, पटना) सहित कुल 15 व्यक्ति अभियुक्त थे।

आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–04 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पूर्वी चम्पारण–01 को सरकारी सेवा से पुनः बर्खास्त किये जाने का दण्ड विनिश्चय किया गया एवं विभागीय पत्र संख्या – 03(15), दिनांक – 03.01.2024 एवं विभागीय पत्रांक – 251(15), दिनांक – 08.04.2024 के द्वारा आयोग से परामर्श/सहमति की माँग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक – 984, दिनांक – 20.06.2024 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि "डॉ० विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग, पी०एम०सी०एच०, पटना एवं श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–04 के विरूद्ध लगाये गये आरोप करीब–करीब सामान्य प्रकृति के है। डॉ० विनोद कुमार सिंह एवं श्री विकास शिरोमणि को दिये गये दंड, उनके आरोपों की गंभीरता, आरोप प्रमाणित एवं प्रमाणित नहीं होने की तुलना में समानुपातिक प्रतीत नहीं होता है। विभाग इस संबंध में पुनर्विचार करना चाहेगा।"

आयोग के उपरोक्त परामर्श के आलोक में अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष–2009–10 में पी०एम०सी०एच०, पटना में दवा, उपकरण, इत्यादि के क्रय में शामिल निविदादाता फर्म के भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित निविदा दाताओं के पक्ष में निर्गत सभी अनुज्ञप्तियों/प्रमाण–पत्रों की जॉच/सत्यापन का दायित्व श्री विकास शिरोमणि का था, जो उनके द्वारा सही ढंग से नहीं किया जा सका एवं तकनीकी बीड के निष्पादन में बड़ी चूक हुई, जिसके कारण सरकारी राशि का अधिकाय व्यय हुआ है, अधिकाय व्यय के लिए अन्य पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अतएव उक्त आरोपों के लिए श्री विकास शिरोमणि को अपने कर्तव्य निर्वहन के क्रम में दोषी मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)

नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (Viii) के तहत् **"कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति"** का दंड अधिरोपित/संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त निर्धारित दंड प्रस्ताव पर परामर्श/सहमति हेतु संचिका बिहार लोक सेवा आयोग को पृष्ठांकित की गयी। तदालोक में आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या –सह– पठित ज्ञापांक–9794, दिनांक–22.07.2019 की कंडिका–07 में अंकित प्रावधान यथा– **''वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहत दण्ड के मामले में, जिनमें आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहत् दण्ड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही होगा''** का उल्लेख करते हुए विभागीय दण्ड प्रस्ताव को बिना परामर्श के ही वापस कर दिया गया।

अतएव श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–04 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पूर्वी चम्पारण–01 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (Viii) के तहत् **"कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति"** के दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–04 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पूर्वी चम्पारण–01 एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –15/औ०–02–17/2014–363(15) **पटना, दिनांक –19/03/2025**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, बिहार

लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना एवं पूर्वी चम्पारण/पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना/ राज्य औषधि नियंत्रण, बिहार, पटना/सिविल सर्जन, पटना एवं पूर्वी चम्पारण/ उप औषधि नियंत्रक, पटना एवं पूर्वी चम्पारण, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री विकास शिरोमणि, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–04 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पूर्वी चम्पारण–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।